160

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1081–तीन/2011 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 27–4–2011 – पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 92/2010–11 निगरानी

1– श्रीमती ज्योति पत्नि सत्यनारायण
निवासी कराहल जिला श्योपुर
2– विष्णु पुत्र फल्लूराम काछी निवासी कराहल
मजरा रोहणी तहसील कराहल जिला श्योपुर
3– श्रीमती रामकली पत्नि विष्णु काछी निवासी
कराहल जिला श्योपुर
4– राजेन्द्र पुत्र कैलाशनारायण
5– रबिशॅकर पुत्र विठ्ठनलाल
6– वृजेश पुत्र शॅकरलाल
7– गोविन्द पुत्र शॅकरलाल
निवासीगण कराहल तहसील कराहल
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी एंव श्री वीरसिंह जौदान)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8 –2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 92/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक **27–4–2011** के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार कराहल ने प्रकरण कमांक 32/2004–05 अ–19 में पारित आदेश दिनॉक 10–11–2005 से आवेदकगण एंव अन्य 6 कुल 13 व्यक्तियों के हित में ग्राम कराहल स्थित भूमि (प्रत्येक आवेदक के नाम के सामने अंकित अनुसार) मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किया जाना उपबन्ध अधिनियम, 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापन किया :–

नाम व्यवस्थापित	सर्वे कमांक	रकबा वीघा में
1– श्रीमती ज्योति पत्नि सत्यनारायण	333	9
2– विष्णु पुत्र फल्लूराम काछी	333	9)4
3– श्रीमती रामकली पत्नि विष्णु काछी	333	9
4– राजेन्द्र पुत्र कैलाशनारायण	45	6)10
5– रबिशॅकर पुत्र विठ्ठनलाल	45	5)10
6– वृजेश पुत्र शॅकरलाल	374/1	5)10
7– गोविन्द पुत्र शॅकरलाल	374/1	7

समस्त व्यवस्थापितयों को व्यवस्थापन आदेश दिनॉक 10–11–2005 के उपरांत मौके पर सीमांकन कर कब्जा प्रदान किया गया, क्योंकि उक्तांकित भूमि पर उनके व्दारा 2810–84 के पूर्व से कब्जा करके खेती की जा रही थी।

दीनदयाल मुदगल पूर्व उप सरपंच ग्राम कराहल ने भूमि व्यवस्थापन के स्थान पर भूमि बन्टन करने में अनियमिततायें करने की शिकायत की गई, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी, कराहल ने प्रकरण कमांक 132/2009–10 बी 121 पंजीबद्व करके जॉच कार्यवाही की एंव प्रतिवेदन दिनॉक 19–7–2010 प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर ने आवेदकगण के विरूद्व प्रकरण कमांक 44/2009–10 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया एंव कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर ने कुछ पक्षकारों को सुनकर एंव कुछ पक्षकारों के विरूद्व एकतर्फा कार्यवाही कर आदेश दिनांक 28–3–11 पारित किया तथा आवेदकगण के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 10–11–2005 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व 6 आवेदकगण ने आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 92/2010–11 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 27–4–2011 से निगरानी

अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनॉक 27–4–2011 में निगरानी निरस्त करने हेतु यह आधार लिया है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने ज्ञापन दिनांक 21 जनवरी 2003 से बन्टन व्यवस्थापन पर रोक लगाई गई है एंव 31–1–2003 के वाद तहसीलदार/नायव तहसीलदार को भूमि बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है। विचार करने पर स्थिति यह है कि यह सही है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के प्रावधानों के अंतर्गत 21–1–2003 से भूमि बन्टन व्यवस्थापन रोक है तथा तहसीलदार/ नायव तहसीलदार के बजाय भूमि बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित की गई है परन्तु विचाराधीन प्रकरण में भूमि का व्यवस्थापन राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया गया है अपितु तहसीलदार कराहल ने प्रकरण कमांक 32/2004–05 अ–19 में पारित आदेश दिनॉक 10–11–2005 से आवेदकगण के हित में भूमि का व्यवस्थापन 2–10–1984 के पूर्व से चले आ रहे कब्जे के आधार पर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1984 के अंतर्गत किया है एंव मध्य प्रदेश शसन ने मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1984 के प्रावधानों में किसी प्रकार का सॅशोधन नहीं किया है और इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन अधिकारी तहसीलदार हैं, जिसके कारण विद्वान आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 92/2010–11 निगरानी में आदेश दिनांक 27–4–2011 से लिया गया निर्णय भ्रॉतिपूर्ण एंव भौतिकता पर आधारित न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर व्दारा भूमि

व्यवस्थापन आदेश के वाद स्वमेव निगरानी अतिविलम्ब से की है जो गैर कानूनी है। इस सम्बन्ध में विचार करने पर स्थिति यह है कि –

1. संता चमार बनाम ललवा चमार 1990 रा0नि0 90 का दृष्टांत है कि लम्बे समय के वाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग अनुचित है। अपील या पुनरीक्षण में पक्षकार ने चुनौती नहीं दी –शिकायत के आधार पर कार्यवाही अनुचित है। लम्बा समय व्यतीत होने के वाद ऐसी शक्तियॉं का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 रा.नि. 67 = 1975 ज0ला0ज0 155= 1975 म0प्र0ला0ज0 689 हाईकोर्ट में बताया गया है कि लम्बे समय वाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करना अनुचित विलम्ब से बाधित है।
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 50 –स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग – एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त हो सकता है।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार कराहल के आदेश दिनॉक 10–11–2005 के विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 19–7–2010 के 05 वर्ष के अंतराल वाद वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर 6 वर्ष वाद अंतिम निराकरण कर आवेदकगण के हित में व्यवस्थापित भूमि को शासकीय अंकित करने का आदेश दिया है जो अवधि–वाधित होने से निरस्ती योग्य है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि व्यवस्थापन में प्राप्त कर भूमिस्वामी बन जाने के वाद आवेदकगण ने अपनी अपनी भूमि को बंधिया आदि बनाकर समतल कर लिया है तथा उन्नत खेती करने के लिये सिंचाई के साधन में कुआ आदि बनवाये हैं जिसमें उनका धन व श्रम लगा है यदि अब उनसे भूमि छुड़ा ली जा जाती है तब उन्हें आजीविका चलाने में मुश्किल हो जावेगी। यदि आवेदकगण के अभिभाषक के इन तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉं की गई – प्रशासनिक अधिकारिकयों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के लिये आवंटिती को आवन्टन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155=1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 में व्यवस्था दी गई है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात आवंटन रद्व नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 92/2010–11 निगरानी में आदेश दिनांक 27–4–2011 पारित करते समय तथा अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 44/2009–10 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 28–3–11 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदकगण के हितों तक स्वीकार की जाकर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 92/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–4–2011 का आवेदकगण हित तक का अॅश भाग तथा अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 44/2009–10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–3–11 का आवेदकगण तक के हित का अॅश भाग त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त पद दो में दर्शाए अनुसार आवेदकगण के हित में व्यवस्थापित की गई भूमि पर शासकीय अभिलेख में उनके नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप यथावत दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कराहल को दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर